

## वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972

### अनुक्रमणिका

#### अध्याय-1

##### प्रारम्भिक

- 1- संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ
- 2- परिभाषायें

#### अध्याय-2

##### अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकारियों की नियुक्ति या गठन किया जाना

3. संचालक एवं अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति
4. मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं अन्य अधिकारियों की नियुक्ति
- 5- शक्ति का प्रत्यायोजन
- 5 क- वन्यजीव के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन
- 5 ख- राष्ट्रीय बोर्ड की स्थायी समिति
- 5 ग. राष्ट्रीय बोर्ड के कृत्य
- 6- राज्य में वन प्राणी बोर्ड का गठन करना
- 7- मण्डल द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया
- 8- राज्य वन्यजीव बोर्ड के कर्तव्य

#### अध्याय-3

##### वन पशुओं की आखेट (शिकार)

9. शिकार पर प्रतिबंध
10. (निरसित)
11. कतिपय मामलों में वन पशुओं के आखेट (शिकार) की अनुज्ञा दी जाना
12. विशेष प्रयोजन के लिये अनुज्ञा का प्रदाय
- 13 से 17. (निरसित)

#### अध्याय-3 क

##### विनिर्दिष्ट पौधों का संरक्षण

- 17 क. विनिर्दिष्ट पौधों को तोड़ने, जड़ से उखाड़ने आदि का प्रतिषेध
- 17 ख. विशेष कार्यों के लिये अनुज्ञा का प्रदाय
- 17 ग. बिना अनुज्ञा प्राप्त किये विनिर्दिष्ट पौधों की खेती करना प्रतिषिद्ध
- 17 घ. बिना अनुज्ञा विनिर्दिष्ट पौधों का व्यापार करने का प्रतिषेध
- 17 इ. स्टाक की घोषणा
- 17 च. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पौधों को कब्जे में रखना
- 17 छ. विनिर्दिष्ट पादपों का क्रय आदि
- 17 ज. पादपों का सरकारी सम्पत्ति होना

#### अध्याय-4

##### संरक्षित क्षेत्र

18. अभ्यारण की घोषणा
- 18 क. अभ्यारणों की सुरक्षा
- 18 ख. कलेक्टर की नियुक्ति
19. अधिकारों का विनिश्चयन कलेक्टर करेगा
20. अधिकार के अर्जन पर रोक
21. कलेक्टर द्वारा उद्घोषणा

22. कलेक्टर द्वारा जाँच
23. कलेक्टर की शक्ति
24. अधिकार का अर्जन
25. अर्जन की कार्यवाही
- 25 क. अर्जन कार्यवाहियों के पूरा होने के लिए समय सीमा
26. कलेक्टर क शक्ति का प्रत्योजन
- 26 क. किसी क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित करना
27. अभ्यारण्य में प्रवेश के लिये प्रतिबन्ध
28. अनुज्ञा प्रदान करना
29. अभ्यारण्य में बिना अनुज्ञापत्र विनाश आदि कना प्रतिषिद्ध
30. आग लगाना प्रतिषिद्ध
31. हथियार के साथ अभ्यारण्य में प्रवेश का प्रतिषेध
32. घातक पदार्थ के उपयोग पर रोक
33. अभ्यारण्य का नियंत्रण
- 33 क. पशुधन का रोग मुक्त करना
- 33 ख. सलाहकार समिति
34. शस्त्र रखने वाले व्यक्तियों का रजिस्ट्रीकरण
- 34 क. अतिक्रमण को हटाने की शक्ति

#### राष्ट्रीय उद्यान

35. राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा
36. (निरसित)
- 36 क. संरक्षण आरक्षिति प्रबंध समिति
- 36 ख. सामुदायिक आरक्षिति प्रबंध समिति
- 36 ग. सामुदायिक आरक्षिति की घोषणा और प्रबंधन
- 36 घ. सामुदायिक आरक्षिति प्रबंध समिति

#### बन्द क्षेत्र

37. (निरसित)
38. क्षेत्रों के अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की केन्द्र शासन की शक्ति

#### अध्याय-4

#### केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण तथा चिड़ियाघरों की अधिमान्यता

- 38 क. केन्द्रीय चिड़िया घर प्राधिकरण का गठन
- 38 ख. अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्य काल एवं सेवा शर्तें आदि
- 38 ग. प्राधिकरण के कृत्त
- 38 घ. प्रक्रिया का प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाना
- 38 ड. प्राधिकरण को अनुदान एवं ऋण और निधि का गठन
- 38 च. वार्षिक रिपोर्ट (प्रतिवेदन)
- 38 छ. वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा प्रतिवेदन का संसद में प्रस्तुत किया जाना
- 38 ज. पशुवाटिका को मान्यता
- 38 झ. पशुवाटिका द्वारा वन प्राणी प्राप्त करना
- 38 ज. पशुवाटिका में वन प्राणी को परेशान आदि करना निषिद्ध

#### अध्याय 4 - ख

#### राष्ट्रीय बाघ (Tiger) संरक्षण प्राधिकरण

- 38 ट. परिभाषायें
- 38 ठ. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन
- 38 ड. सदस्यों का कार्यकाल एवं सेवा शर्तें

- 38 ढ. व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के अधिकारी एवं कर्मचारी
- 38 ण. व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के अधिकार एवं कर्तव्य
- 38 त. व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा प्रक्रिया का नियमन
- 38 थ. व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण को अनुदान, कर्ज तथा निधि का विधान
- 38 द. व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के लेखे तथा लेखों का परीक्षण (audit)
- 38 ध. व्याघ्र संरक्षण प्राधिकारी की वार्षिक रिपोर्ट
- 38 न. वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन का संसद में प्रस्तुत होना
- 38 प. संचालक समिति का गठन
- 38 फ. व्याघ्र संरक्षण योजना
- 38 ब. व्याघ्र आरक्षण क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन या उनको समाप्त करना
- 38 भ. व्याघ्र संरक्षण प्रतिष्ठान की स्थापना

#### अध्याय 4-ग

##### व्याघ्र एवं अन्य संकटापन्न प्रजातियों के प्रति अपराध पर नियंत्रण

- 38 म. व्याघ्र एवं अन्य संकटापन्न प्रजातियों के अलिअ अपराध नियंत्रण ब्यूरोँ स्थातपित करना
- 38 य. वन प्राणी अपराध नियंत्रण ब्यूरोँ के अधिकार तथा कर्तव्य

#### अध्याय 5

##### वन प्राणियों, प्राणियों की वस्तुओं और ट्राफी का व्यापार या वाणिज्य

- 39. वन प्राणी आदि का सरकार सम्पत्ति होना
- 40. घोषणा
- 40 क. कतिपय दशाओं में उन्मुक्ति
- 41. सूची की जाँच और तैयार करना
- 42. स्वामित्व का प्रमाण-पत्र
- 43. प्राणी आकद के अन्तरण का विनियमन
- 44. अनुजप्ति के बिना ट्राफी और पशु वस्तु का व्यापार बिना अनुजप्ति के प्रतिबन्धित
- 45. अनुजप्तियों (लायसेन्सों) का निलम्बन एवं रद्दकरण
- 46. अपील
- 47. अभिलेखों (रिकार्ड) का रखा जाना
- 48. अनुजप्तिधारी द्वारा प्राणी आदि का क्रय
- 48 क. वन्यजीवों के परिवहन पर प्रतिबंध
- 49. अनुजप्तिधारियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति द्वारा बन्दी पशु आदि की खरीदी

#### अध्याय-5 क

##### कुछ प्राणियों से व्युत्पन्न ट्राफी, पशुवस्तु आदि के व्यापार या वाणिज्य का प्रतिषेध

- 49 क. परिभाषाएं
- 49 ख. अनुसूचित प्राणियों से व्युत्पन्न ट्राफियों, प्राणी वस्तुओं आदि में त्यौहार पर प्रतिषेध
- 49 ग. व्यवसायी द्वारा घोषणा

#### अध्याय-6

##### अपराधों की रोक एवं खोज

- 50. प्रवेश, तलाशी, हिरासत तथा राक रखने की शक्ति
- 51. शास्तियां
- 51 क. जमानत देने में कुछ शर्तें लागू
- 52. प्रयत्न और दुष्प्रेरण
- 53. सदोष अभिग्रहण के लिये दण्ड
- 54. अपराधों का श्मन करने की शक्ति
- 55. अपराधों का संज्ञान

56. अन्य विधियों का प्रवर्तनका वर्जित न होना
57. कतिपय मामलों में उपधारणा की जाना
58. कम्पनी द्वारा अपराध

#### अध्याय-6 क

#### अवैध आखेटन और व्यापार से व्युत्पन्न सम्पत्ति का समपहरण

- 58 क. लागू होना
- 58 ख. परिभाषाएं
- 58 ग. अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति के धारण का प्रतिषेध
- 58 घ. सक्षम प्राधिकारी
- 58 ड. अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति की पहचान
- 58 च. अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति का अभिग्रहण या उस पर रोक लगाना
- 58 छ. इस अध्याय के अधीन अभिग्रहित या समपहद सम्पत्तियों का प्रबंध
- 58 ज. सम्पत्ति के समपहरण पर सूचना
- 58 झ. कतिपय दशाओं में सम्पत्ति का समपहरण
- 58 ञ. सबूत का भार
- 58 ट. समपहरण के बदले जुर्माना
- 58 ठ. कतिपय न्यास सम्पत्तियों के संबंध में प्रक्रिया
- 58 भ. सम्पत्ति का स्थानान्तरण, शून्य होना
- 58 ढ. अपील प्राधिकरण का गठन
- 58 ण. अपीलें
- 58 त. सूचना या आदेश का वर्णन में त्रुटि के कारण अविधिमान्य न होना
- 58 थ. अधिकारिताका वर्जन
- 58 द. सक्षम प्राधिकारी और अपील अधिकरण के पास सिविल न्यायालय की शक्तियों का होना
- 58 ध. सक्षम प्राधिकारी को सूचना
- 58 न. कतिपय अधिकारियों का प्रशासक, सक्षम प्राधिकारी और अपील अधिकरणकी सहायता करना
- 58 प. कब्जा लेने की शक्ति
- 58 फ. त्रुटियों की परिशुद्धि
- 58 ब. अन्य विधियों के निर्णय इस अध्याय की कार्यवाही में निर्णयक नहीं होंगे
- 58 भ. सूचना और आदेशों की तामील
- 58 म. ऐसी सम्पत्ति के अर्जन के लिए दण्ड जिसकेसंबंध में इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियां की गई

#### अध्याय-7

#### विविध

59. अधिकारियों का लोक-सेवक होंगे
60. सद्भावना से किये गये कार्य का संरक्षण
- 60 क. व्यक्तियों को पुरस्कार
- 60 ख. राज्य सरकार द्वारा पुरस्कार
61. अनुसूची की प्रविष्टि में परिवर्तन करने की शक्ति
62. कतिपय पशुओं को हानिकारक पशु होने की घोषणा
63. केन्द्र शासन की नियम बनाने की शक्ति
64. राज्य शासन की नियम बनाने की शक्ति
65. जनजाति के अधिकारों का संरक्षण किया जाना
66. निरसन और व्यावृत्तियां